

प्रेषक

वरिष्ठ कोषाधिकारी
बुलन्दशहर

सेवा में

समस्त आहरण-वितरण अधिकारी
बुलन्दशहरविषय-
महोदय,ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली, ई-पेंशन सिस्टम के संचालन के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक 1051/कोष0कम्प्यू0/डि0सि0/2015-16, दिनांक 09/12/2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था कि दिनांक 29 फरवरी 2016 के उपरान्त अर्थात् 01 मार्च 2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण आन-लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली द्वारा निस्तारित किये जानें हैं अतः आप अपने डिजिटल सिग्नेचर यथाशीघ्र "यू पी 0 इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड-10 अशोक मार्ग लखनऊ" से प्राप्त कर लें ।

इस क्रम में आपसे पुनः अनुरोध है कि यदि आपके द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर अभी तक प्राप्त नहीं किये गये हों तो कृपया तत्काल प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें । यहाँ यह भी सूचित किया जाना है कि ई-पेंशन के शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरण में विलम्ब की दशा में संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे ।

कृपया आपका व्यक्तिगत ध्यान आर्कषित है ।

भवदीय

वरिष्ठ कोषाधिकारी
बुलन्दशहर

पृ0प0सं0 138 II /कोष0कम्प्यू0/डि0सि0/2015-16, तद्दिनांक 14-3-16
प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-ज़िलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर
- 2-निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश, 1018 जवाहर भवन लखनऊ ।
- 3-निदेशक पेंशन, उ0प्र0 इन्दिरा भवन लखनऊ ।
- 4-अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, एम0डी0ए0 भवन, मेरठ ।

✓ जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को जनपद बुलन्दशहर की वेब साईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।

Ashu Prakash, 14.3.16
वरिष्ठ कोषाधिकारी

बुलन्दशहर